न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 5/2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्टस
अशोक कुमार		सरपंच ग्राम पंचायत हरियाढाणा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 5 म्याद अधिनियम 1963

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल, एडवोकेट।
2. अप्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल, एडवोकेट।

—::आदेश ::– **दिनांक :–** 8/07/25

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाढाणा (पटेल नगर) में स्थित भूमि खसरा नंबर 1948, 1971, 1566, 1567, 1575, 1581, 1960, 1964, 1967, 1977, 1574, 1578, 1582, 1585, 1587 की भूमि का बिना पंजीयन सुदा दस्तावेज एवं काल्पनिक दस्तावेज के आधार पर बिना नोटिस दिये एवं वारिसानों को बिना सुनवाई किये, गोदनामा का म्यूटेशन जीवित व्यक्ति के समय भरा गया म्यूटेशन सं. 340 दिनांक 04.01.1970 को निरस्त/अपास्त करने हेतु एक अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की है म्यूटेशन की नकल अपीलार्थी को दिनांक 16.05.2023 को प्राप्त हुई है तथा अपीलार्थी को प्रथम बार उक्त म्यूटेशन का ज्ञान हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दिनांक 04.01.1970 से आज दिनांक तक की अवधि को कण्डोन किया जाकर अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति प्रदान फरमावें।

रेस्पोडेण्ट सं. 2, 3 व 4 की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाव एवं प्रारम्भिक आपतिया इस प्रकार है कि अपीलाण्ट इस प्रकरण में तृतीय पक्ष है। उक्त अपील पेश करने हेतु अपीलाण्ट ने धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त नहीं की। अपीलाण्ट प्रत्यक्ष तौर पर इस प्रकरण में पीडित पक्षकार नहीं है व न ही अपीलाण्ट हितबद्ध पक्षकार है सक्षम न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त किये जाने बिना व असंबंध पक्षकार द्वारा दायर अपील चलने लायक नहीं है। अपीलान्ट स्वयं बिलाड़ा तहसील में पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक पद पर रह चुका है एवं तहसीलदार के पद से रिटायर्ड होने के बाद वकालत प्रारम्भ की। अपीलान्ट को उक्त म्यूटेशन सं. 340 दिनांक 04–01–1970 के भरे जाने के बारे में पहली बार दिनांक 16–05–2023 को जानकारी होना बताया जो सरासर झूठ है। अपीलान्ट को प्रथम बार उक्त म्यूटेशन की जानकारी तब हुई जब अपीलान्ट ने एक राजस्व वाद सं. 100/95 अनवान अशोक कुमार बनाम धोकलराम राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बिलाड़ा के समक्ष पेश किया, जिसमें स्वयं वादी अपीलान्ट ने वाद के पैरा सं. 4 में स्पष्ट लिखा कि मांगीलाल (रेस्पोडेन्ट सं. 2) कई वर्षों पूर्व शिवजीरामजी के गोद चले गये है। इस राजस्व वाद में अपीलान्ट व उसके गवाहों ने भी न्यायालय बिलाड़ा में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होकर गवाही दी। जिसमें भी वर्णित किया कि मांगीलाल शिवरामजी के गोद गया हुआ है। नामान्तरकरण सं. 340 स्वीकृत होने के बाद शिवजीराम की पुत्रियों ने भी एक राजस्व वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसकी भी जानकारी अपीलान्ट को बखुबी है और वह राजस्व वाद खारिज हुआ। उक्त दावे की नकले नहीं मिली है, मिलने पर प्रस्तुत की जायेगी। राजस्व

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

वाद सं. 86/2020 अनवान चौनाराम वगैरा बनाम सायरी वगैरा वाद बाबत् धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट का पेश किया, जिसमें स्वयं अपीलान्ट वादी सं. 3 है। ठीक उसी प्रकार वादी ने एक राजस्व वाद सं. 97/22 अनवान अशोक कुमार बनाम चौनाराम वगैरा धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट का पेश किया। जिसमें भी अपीलान्ट वादी है। उपरोक्त म्यूटेशन सं. 340 स्वीकृत होने के बाद अपीलान्ट स्वयं ने रेस्पोडेन्ट सं. 3 सुखीदेवी एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 मांगीलाल खोले शिवजीराम राजस्व रेकर्ड के अनुसार सीधे तौर पर बहक रेस्पोडेन्ट सं. 4 हरेन्द्र पटेल के पक्ष में ग्राम पटेल नगर की सरहद में स्थित खसरा स. 1566, 1567, 1574, 15753 1578, 1581, 1582, 1585, 1587, 1948, 1960, 1964, 1967, 1971, 1977 कुल खसरे 15 की कुल भूमि 99.13 बीघा का 1/2 हिस्से का दान पत्र उप पंजीयन कार्यालय बिलाड़ा में दिनांक 31–05–2019 को पंजीबद्ध करवाया, और उक्त दान पत्र करवाने वाला स्वयं अपीलान्ट है तथा दान पत्र में निष्पादनकर्ताओं की पहिचान अपीलान्ट ने की है। तब भी उपरोक्त म्यूटेशन सं. 340 की जानकारी अपीलान्ट को बखूबी हो गई थी। उसके बाद दान पत्र के दस्तावेज में रेस्पोडेन्ट सं. 4 हरेन्द्र पटेल की जगह हरेन्द्र राजस्व रेकर्ड में अंकन होने पर शुद्धि पत्र का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के हाथों से लिखा, श्रीमान् तहसीलदार साहब बिलाड़ा में अपीलान्ट ने पेश किया। तब बाद जांच शुद्धि पत्र के जरिये जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट सं. 4 का नाम हरेन्द्र की जगह हरेन्द्र पटेल शुद्ध कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया। तब भी अपीलान्ट को इस म्यूटेशन सं. 340 के बारे में भंली भांति जानकारी हो गई थी। रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 31–05–2019 के जरिये म्यूटेशन सं. 1729 स्वीकृत हुआ व राजस्व रेकर्ड में रस्पोडेन्ट सं. 4 का नाम हरेन्द्र का होने की जानकारी अपीलान्ट को बखूबी थी तथा फोर्ज दस्तावेज हकतर्क विलेख के जरिये अपीलान्ट ने म्यूटेशन सं. 1730 स्वीकृंत करवाया व जमाबन्दी में अपीलान्ट ने अपना नाम इन्द्राज करवाया। जिसकी जानकारी भी अपीलान्ट को बखूबी थी। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के स्थगन आदेश दिनांक 10–10–2022 एवं राजस्व वाद सं. 162/2022 में तहसीलदार बिलाड़ा के आदेश क्रमांक/भू.अ./स्थगन/2022/1586/14–10–2022 की पालना में स्थगन नोट लगा हुआ है। उसकी भी अपीलान्ट को भंली भांति मालुम था, फिर भी अपीलान्ट ने सही बात एवं तथ्य छुपाये है। अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत की गई। उसमें धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में दिये कारण असत्य है। नामान्तरकरण सं. 340 दिनांक 04–01–1970 की जानकारी होने के बाद भी इस तथ्य को छुपाकर अपीलान्ट ने धारा 5 म्याद अधिनियम का असत्य प्रार्थना पत्र बनाकर एवं मनगढ़त कानून विरूद्ध शपथ पत्र पेश किया है, जो प्रार्थना पत्र कतई चलने काबिल नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3 व 4 का अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 का जबाव इस प्रकार है कि नामान्तरकरण सं. 340 ग्राम पंचायत द्वारा सही भरा गया। अपीलान्ट स्वयं तहसील बिलाड़ा में पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक पर पर काफी वर्षों तक रहा व तहसीलदार पद से रिटायर्ड होकर अब बिलाड़ा में वकालत कर रहा है। अपीलान्ट इस प्रकरण में तृतीय पक्ष है धारा 96 सीपीसी के अन्तर्गत अपील पेश करने से पूर्व अपीलान्ट ने जान बूझकर अनुमति प्राप्त नहीं की। अपीलान्ट प्रत्यक्ष तौर पर इस प्रकरण में पीड़ित पक्षकार नहीं है, न ही हितबद्ध पक्षकार है। सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त किये बिना असंबंध पक्षकार द्वारा दायर अपील चलने योग्य नहीं है। अपीलान्ट को म्यूटेशन सं. 340 दिनांक 04–01–1970 के भरे जाने के बारे में पहली बार दिनांक 16–05–2023 को जानकारी होना बताकर बेबुनियाद अपील पेश की। जबकि अपीलान्ट ने एक राजस्व वाद सं. 100/95 अनवान अशोक कुमार बनाम धोकलराम वगैरा पेश किया। जिसमें स्वयं वादी ने लिखा कि रेस्पोडेन्ट मांगीलाल शिवजीराम के गोद गया है। अपीलान्ट के गवाहों ने भी स्वीकारा है। शिवजीरामजी पुत्र प्रभुजी की पुत्रियों ने राजस्व वाद अपील पेश की, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को थी। दिनांक 31–05–2019 को अपीलान्ट ने

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अपील में वर्णित कृषि भूमि का दान पत्र तैयार कर रजिस्टर्ड करवाया, उस वक्त भी अपीलान्ट को उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट मांगीलाल के नाम होने की बखूबी जानकारी थी। फिर दान पत्र में बख्शीशगृहिता हरेन्द्र का म्यूटेशन नं. 1729 व स्वयं अपीलान्ट ने म्यूटेशन सं. 1730 अपने नाम से स्वीकृत करवाया। दान पत्र गृहिता का नाम हरेन्द्र होने पर नाम शुद्धि पत्र करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र भी अपीलान्ट ने अपने हाथों से लिखा पेश किया एवं शुद्धि पत्र के जरिये हरेन्द्र की जगह हरेन्द्र पटेल का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया, जिसकी नकले अपीलान्ट ने प्राप्त की। तब भी अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन सं. 340 की जानकारी हो गई थी। जमाबन्दी में स्थगन नोट लगा हुआ है, उसकी भी अपीलान्ट को भंलीभांति जानकारी थी। न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा में एक राजस्व वाद सं. 86/2020 चौनाराम बनाम सायरी वगैरा में स्वयं अपीलान्ट वादी सं. 3 है। तब भी म्यूटेशन सं. 340 की अपीलान्ट को जानकारी थी। एक राजस्व वाद सं. 97/22 अपीलान्ट ने अनवान अशोक कुमार बनाम चौनाराम वगैरा प्रस्तुत किया जिसमें स्वयं अपीलान्ट वादी है। तब भी म्यूटेशन सं. 340 की अपीलान्ट को जानकारी थी। म्यूटेशन सं. 340 दिनांक 04–01–1970 की शुरू से ही जानकारी होते हुए सत्य तथ्य छुपाने का अपीलान्ट दोषी है।

अतः रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3 व 4 की ओर से प्रार्थना पत्र का प्रारम्भिक आपति एवं जबाव मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम प्रथमतया चलने योग्य नहीं होने से मय खर्चे खारिज फरमावे।

रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपतियां का जवाब अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसकें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सिविल प्रक्रिया सहित की धारा 96 नामान्तकरण अपील पर लागू नही होती है केवल डिकी अपील पर लागू होती है अपीलाण्ट वादग्रस्त भूमि का सह खातेदार है इस प्रकार रेस्पोडेण्ट का यह कहना कतई गलत है कि अपीलाण्ट हितबद्ध पक्षकार नही है जो बिल्कुल गलत बताया गया है। इस प्रकार विवादित नामान्तरकरण निर्णय का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रभावित पक्षकारो को बगैर नोटिस दिये कोई आदेश पारित किया गया हो तो ऐसे ऐबिनिश्यू बायड आदेश धारा 5 मयाद अधिनियम से बाधित नहीं माना जा सकता। आर.आर.डी. 1994 पेकज 606 विनिश्चय मे भी यही विनिश्चत किया गया है कि प्रभावी पक्षकार को वगैर सुने पारित किया गया आदेश अवैध है ऐसी सूरत मे मयाद के बिन्दु पर विचार नही किया जा सकता है। अतः नामान्तकरण गलत है जिसको निरस्त किया जाना अति आवश्यक है । अपीलाण्ट ने अपील माननीय न्यायालय मे धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र पेश कर न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है। नामान्तकरण के लिये न्यायालय से पूर्व अनुमति की कोई बाध्यता कानूनन नही है गलत नामान्तरकरण की अपील कोई भी व्यक्ति कर सकता है। राजस्व वाद संख्या 100/95 अनवान अशोक कुमार बनाम धोकलराम किसी प्रकार का अंकन नामान्तकरण नही है। उस वाद की विषय वस्तु अलग है तथा उक्त प्रकरण की विषय वस्तु अलग है राजस्व वाद संख्या 100/95 मे नामान्तरकरण संख्या 340 की अंकन नहीं है। उक्त वाद की विषय वस्तु अलग है। नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 04.01. 1970 का है जो वर्ष 1970 मे अपीलाण्ट अपनी पढाई मे अध्ययनरत था । पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्ष के पद पर कार्यरत नही था। जो वर्ष 1970 मे पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर अपीलाण्ट का रहना कतई गलत दर्ज किया है। मांगीलाल (रस्पोडेण्ट संख्या 02) शिवजीराम के गोद जाना बताया था मगर नामान्तकरण संख्या 340 मे गोद का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नही है मगर मांगीलाल शिवजीराम के साथ गोद पुत्र की हैसियत से शामिल नही रहा था। शिवजीराम की पुत्रियो द्वारा कोई राजस्व वाद किसी भी न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया गया था। नामान्तकरण संख्या 340 दिनांक 04. 01.1970 का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अंकन राजस्व वाद संख्या 86/2020 व 97/2022 में कही पर भी अंकन नही है उक्त वादो की विषय वस्तु भी अलग अलग है राजस्व वाद संख्या 86/2020 बंटवाड़ा धारा 53,188 का है तथा राजस्व वाद संख्या 97/22 खातेदारी घोषणा का धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट का है जो रेस्पोडेण्ट संख्या 04 स्वीकार कर रहा है। नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 01.01.1970 का उक्त वादो में कही पर भी कोई पद या विषय वस्तु दर्ज नही है बावजूद उक्त प्रकरण को लम्बा करने की नियत से एवं उक्त अपील के तथ्यों से भ्रमित करने की नियत से प्रारम्भिक आपत्ति का पद कतई झूठ लिखा है। रेस्पोडेण्ट का यह कहना कि दिनांक 31.05.2019 को दान पत्र पेश किया है मगर उसमे भी नामान्तरकरण संख्या 340 का कोइ इन्द्राज नही है। इस प्रकार इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 04.01. 1970 की बिल्कुल जानकारी नही थी। उक्त गलत भरे गये नामान्तरकरण संख्या 340 की जानकारी दिनांक 16.05.2023 को हल्का पटवारी से नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर प्रथम पक्षकार अपीलाण्ट को जानकारी हुई है रेस्पोडेण्ड संख्या 04 चार का शुद्धि पत्र मे नामान्तरकरण संख्या 340 का कोई अंकन नही है जिससे की अपीलाण्ट को जानकारी हो । अपीलाण्ट को प्रथम बार गलत भरा गया म्यूटेशन की जानकारी दिनांक 16.05. 2023 को प्रथम बार होने पर न्यायालय मे अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है

अतः अपीलाण्ट की ओर से प्रारम्भिक आपत्तियो का जवाब पेश कर निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट की प्रारम्भिक आपत्तियो को खारीज फरमा कर अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर म्यूटेशन संख्या 340 दिनांक 04.01.1970 को खारीज फरमाया जाने का आदेश फरमावे।

अपीलाण्ट अधिवक्ता व रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक तक की अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया है रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा प्रारम्भिक आपतियां पेश कर अपीलाण्ट जो तृतीय पक्ष है। उक्त अपील पेश करने हेतु अपीलाण्ट ने धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त नहीं करने से कारण उक्त अपील को खारिज करने का निवेदन किया। रेस्पोडेण्ट के अनुसार अपीलाण्ट को उक्त म्यूटेशन सं. 340 दिनांक 04.01.1970 की जानकारी पहले से थी। राजस्व वाद 100/95 अन्तर्गत धारा अनवान अशोक कुमार बनाम धोकलराम अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 न्यायालय हाजा में पेश किया, जिसमें वादी/अपीलाण्ट द्वारा वाद के पैरा सं. 4 में स्पष्ट लिखा कि मांगीलाल कई वर्षो पूर्व शिवजीराम के गोद चले गये है। इस राजस्व वाद में अपीलाण्ट व उसके गवाहों ने भी न्यायालय बिलाडा में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होकर गवाही दी जिसमें अपीलाण्ट ने मांगीलाल को शिवजीराम के गोद जाना स्वीकारा है। अपीलाण्ट द्वारा प्रारम्भिक आपत्तियों का अस्वीकार होना स्वीकारा है एवं बताया कि सी.पी.सी 96 नामा. अपील पर लागू नहीं होती है केवल डिक्री अपील पर लागू होती है। अपीलाण्ट वादग्रस्त भूमि का सह खातेदार है रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त पेश किया। न्यायिक दृष्टान्त मीमा बनाम राजस्थान सरकार 2012(1) आर.आर.टी 374 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया कि **सी. पी.सी. 1908–धारा 96– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135–नामान्तरकरण –कलेक्टर/एस.डी.ओ ने नामान्तरकरण निरस्त किये–रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा भूमि विक्रय की गई– अपील तहसीलदार द्वारा पेश की गई जो कि तृतीय पक्ष था और अपील पेश करने हेतु धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त नहीं की– हस्तान्तरित भूमि सरकारी भूमि नहीं थी–निर्णीत , निचले न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दोषपूर्ण है व अपास्त किये।**

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

धारा 96 सी.पी.सी. से संबंधित न्यायिक दृष्टान्त 1993 आर.ए.डी.44 (डी.बी.) का हैडनोट "ए" निम्न प्रकार उल्लेखित है:–

Section 96- The fact that a party is an aggrieved person does not by itself entitle him to file an appleal if he was not a party to the dispute in the lower Court- He must obtain the permission of the Court for filing the appeal before actually doing so- An appeal filed without obtaining permission from the Court of appeal is incompetent and cannot be maintained.

इसी प्रकार 1993 आर.ए.डी 232 (डी.बी.) का हैडनोट ए(ए) भी निम्न प्रकार है:–

(A) Code of Civil Procedure-(A) Section 96- A person who is not a party to order or a decree cannot prefer an appeal against such order or decree without the leave of the Court-An appeal filed without leave of the Court is incompetent.

हस्तगत प्रार्थनापत्र मय दस्तावेजात् तथा प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों से यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति किसी आदेश या डिक्री में पक्षकार नहीं है, वह अपील में बिना न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये पक्षकार नहीं बन सकते। ऐसी कमी के साथ प्रस्तुत अपील अयोग्य है। अपीलाण्ट अशोक कुमार ने धारा 96 सी.पी.सी. के तहत कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही कर प्रथम अपील प्रस्तुत की। यह कमी प्रथम अपील में प्रथम दृष्टया स्पष्ट प्रतीत होती है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के पैरा सं. 5 में शिवजीराम की वंशावली में अपीलाण्ट का नाम कही नहीं दर्शाया गया। अपीलाण्ट ने शिवजीराम के किसी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलाण्ट प्रत्यक्ष तौर पर पीडित पक्षकार नहीं माना जा सकता व न ही वह हितबद्ध पक्षकार कहा जा सकता है, सक्षम न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त किये बिना व असम्बद्ध पक्षकार द्वारा दायर प्रथम अपील चलने लायक नहीं है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 को धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से राजस्व अपील खारिज किया जाता है।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 8/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा